फाइल सं0 6/20/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 18 **जनवरी**, 2012

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 02-01-2012 को अपराह्न** 12.30 **बजे** आयोजित 24**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति इसके साथ सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(मंगत राम बाली)
निदेशक

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

सचिव के निजी सहायक/ संयुक्त सचिव के निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. श्री मंगत राम बाली, निदेशक (प्रशासन/समन्वय प्रकोष्ठ/एपीसीआर)
2. श्री आर.डी. चन्द्रहास, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्रीमती वीना भगत, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं शाखा अधिकारी (एसएसडब्ल्यू)

(मंगत राम बाली)
निदेशक

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 02-01-2012 को अपराह्न 12.30 बजे आयोजित 24वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 24वीं बैठक दिनांक 02-01-2012 को अपराह्न 12.30 बजे डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी ।

1.1 **उपस्थित सदस्यः**

- i) डॉ. राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
- ii) श्री राजू परमार, सदस्य

2.2 **उपस्थित अधिकारीः**

- i) डॉ. श्याम अग्रवाल, सचिव
- ii) श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
- iii) श्री आर.डी. चन्द्रहास, निदेशक
- iv) श्री एम.आर. बाली, उप सचिव
- v) श्री जगजीत सिंह, अध्यक्ष के अपर निजी सचिव

2. माननीय अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी ।

3. विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

3.1.1. **एससीएसपी निधिः** उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट की एक प्रति परिचालित की जानी चाहिए । इसी प्रकार का अध्ययन अन्य सभी राज्यों में भी करने की आवश्यकता है ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(ईएसडीडब्ल्यू)

3.1.2. राज्य सरकार से अनुसूचित जाति विकास के लिए चल रही योजनाओं के बारे में पूछा जाए ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(ईएसडीडब्ल्यू)

3.2. उपर्युक्त एससीएसपी रिपोर्टों का अनुसरण करते हुए राज्यों/सरकारी संगठनों की एनसीएससी समीक्षा के लिए इस समय गृहित प्रश्नावली को आशोधित किया जाना चाहिए ।

(कार्रवाईः समन्वय प्रकोष्ठ)

3.3. **अनुसूचित जातियों की सामान्य (एकल) सूचीः** पूरे भारत में अनुसूचित जाति की एक सामान्य सूची होने की व्यावहार्यता का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है । एक सेमिनार शीघ्र आयोजित किया जाए ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(एसएसडब्ल्यू)

3.4. **प्रवासी अनुसूचित जातियों पर अध्ययनः** प्रवासियों से संबंधित समिति की रिपोर्ट को केवल जाति प्रमाण-पत्र जारी करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए । इससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार के वर्ष 1978 के आदेश से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के स्पष्ट उपाय निकलने चाहिएं ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(एसएसडब्ल्यू)

3.5. हाथ से सफाई करने और न्यायपालिका में आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर समिति की रिपोर्टों को आयोग में परिचालित किया जाए । इन्हें उपर्युक्त मुद्दों पर सुझावों को सम्मिलित करने के बाद मुद्रित करवाया जाए ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(समन्वय प्रकोष्ठ)

3.6. **वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्टः** आयोग की वर्ष 2010 (भाग) और वर्ष 2011 की वार्षिक रिपोर्टें देय हैं । वर्ष 2010 (भाग) की वार्षिक रिपोर्ट निश्चित रूप से 15-01-2012 तक पूर्ण हो जानी चाहिए ।

(कार्रवाईः संयुक्त सचिव(समन्वय प्रकोष्ठ)

3.7. अत्याचार निवारण तथा नागरिक अधिकार संरक्षण स्कंध पर निम्नलिखित मुद्दों का विश्लेषण किया जाएः

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 की कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए न्यायिक आदेशों में आवश्यक सहवर्ती/समक्षणिक बनाया जाए ?

(ख) क्या 'न्यायालय का अनुमान' संबंधी कार्यवाही को सिविल न्यायालय की शक्ति होते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आरम्भ किया जा सकता है ?

(कार्रवाईः निदेशक(आर.डी.सी.)

3.8. **शिकायत मॉनीटरिंग सूचना प्रणालीः** शिकायत मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान-केन्द्र के परामर्श से ज्यों ही संभव हो, अधिकृत किया जाना चाहिए ।

(कार्रवाईः सचिव)

3.9. **कार्यालय परिसर का नवीकरणः** चूंकि नया परिसर शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना नहीं है अतः नवीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाए ।

{कार्रवाईः उप सचिव (सामान्य प्रशासन अनुभाग)}

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।